न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला–बांसवाडा(राज.)

पीठासीन अधिकारी महीपालसिंह RAS

प्रकरण संख्या–35/2017

अन्तर्गत प्रार्थनापत्र धारा 136 रा.भू.रा. अधिनियम

1. श्री जगन प्रसाद पुत्र बाबुलाल जी ओझा निवासी डूँगराबडा तहसील सज्जनगढ जिला–बांसवाडा(राज.)
2. श्री श्याम सुन्दर पुत्र बाबुलाल जी ओझा निवासी डूँगराबडा तहसील सज्जनगढ जिला–बांसवाडा(राज.)

प्राथीगण.....

विरुद्व

1. श्री भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार सा. सज्जनगढ जिला–बांसवाडा(राज.)
2. श्री जिला कलक्टर बांसवाडा(राज.)

प्रतिवादीगण.....

निर्णय

दिनांकः–19/02/2019

प्रार्थी गण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पेश किया गया कि ग्राम टांडा मंगला की पूर्व खातेदार वाला दलिया व तीजू पिता चोखा ग्राम टांडा मंगला की खातेदारी की गत सेटेलमेंट की कृषि भूमि सर्वे नंबर पुराना नंबर 134 रकबा कुल 4.01 में से रकबा 0.10 बिस्वा तथा सर्वे नंबर 135 रकबा 1.05 बीघा मे से रकबा 0.10 बिस्वा भूमि दोनों खेतों की कुल 1620 वर्ग मीटर भूमि जरिय आबादी आदेश क्रमांक 1620–25 दिनांक 27.12.2003 से कार्यालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ़ के आदेश से आबादी में समपरिवर्तन कराने से उक्त भूमि आबादी नामांतरण संख्या 1030 दिनांक 26.07.2006 से आबादी दर्ज हो चुकी है । जिसके नामांतरण का अमल बरामद जमाबंदी संवत 2058 से 2061 अमल **दरामद** हो चुका है व भूमि रूपांतरण नामांतरण से बटा नंबर 135/1 व 134/1 प्रदान किए गए हैं । उक्त जमाबंदी नामांतरण व आबादी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है । यह कि उक्त सर्वे नंबर 134 व 133 की आबादी भूमि में से एक प्लाट 5 गुणा 100 फीट का प्रार्थी गण को खातेदार वाला दलिया व तीजु ने जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.10.2007 को विक्रय किया है। इसी प्रकार से उक्त इन्हीं आराजीयात की उक्त आबादी भूमि में से

खातेदारों वाला दलिया व तीजु ने जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.01.2004 को प्लाट नाप 42 गुणा 60 फीट का श्री गेबालाल पुत्र गौतम कलाल सज्जनगढ़ को कीमतन को विक्रय किया है तथा बाद में गेबीलाल पुत्र गौतम कलाल ने प्रार्थी गण को जरीए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2005 को कीमतन विक्रय किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों प्लाट की कुलिया 3020 वर्ग फिट भूमि के एकमात्र मालिक व काबीज प्रार्थी गण है। यह कि उक्त आबादी परिवर्तन हो जाने के उपरांत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नए सिरे से भू प्रबंध कराया जिसमें उक्त भूमि गत सेटलमेंट के सर्वे न. पुराना 135/1 व 134/1 का वर्तमान सेटलमेंट में नये नंबर कमशः 343 व 344 प्रदान किए गए हैं । नए नंबरों की भूमि वही है, जो प्रार्थी के ऊपर वर्णित विक्रय दस्तावेजों के जरिए क्रय की है, अन्य कोई दूसरी भूमि नहीं है। भू प्रबंध करने वाले कर्मचारियों ने उक्त आबादी भूमि को बिना किसी आधार व कारण के उक्त नए सर्वे नंबर 343 रकबा 0.5 है. व सर्वे न. 344 रकबा 0.10 हेक्टेयर के रूप वापस कृषि भूमि के रूप में पूव खातेदारों वाला दलिया व तीजु नाम से दर्ज कर दिया जो वक्त भू प्रबंध उन्हें भूमिधारी के द्वारा नामांतरण की पत्रावली नहीं देने आदि के कारण से वापस खाता वाला दलिया व तीजु के नाम से कृषि में दर्ज हो गया है जबकि वर्तमान सेटलमेंट के वक्त उक्त भूमि मौके पर पुराने नंबर 134/1 व 135/1 की आबादी रूपांतरणशुदा व नामांतरण के जरिए अमल बरामदशुदा आबादी की भूमि है एवं पुराने नंबरों वाला दलिया व तीजु ने उक्त भूमि को विक्रय कर चुके हैं एवं उनका किसी प्रकार से हक अधिकार भी कब्जा उक्त भूमि पर नहीं है। उक्त भूमि में से सर्वे नंबर 343 की भूमि में से रखवा 0.01 है. राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 113 के रोड के लिए अवाप्त हो चुकी है एवं उसे उक्त अवाप्ति में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कृषि में बताकर उसका मुआवजा भी वाला दलिया व तीजु के नाम से स्वीकृत होना प्रार्थी गण को जानकारी में आया है। जबकि वाला दलिया व तीजु को उक्त भूमि का मुआवजा लेने का भी हक नहीं है। सेटेलमेंट की उक्त त्रुटि का पता रिकॉर्ड से नकले लेने पर प्रार्थीगण को हुआ, जिससे प्रार्थी गण नए नंबर 344 व 343 पर आबादी में प्रार्थी गण के नाम पर दर्ज करने पटवारी को व तहसील में इन्द्राज दुरूस्त करने आवेदन दिया व मौका जांच पटवारी हल्का से कराई, जो आवेदन के सलंग्न है जिससे भी प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि को सर्वे नंबर 343 व 344 के रूप में कृषि गलत अंकित किया है। उक्त इन्द्राज दुरूस्त करने आवेदन विपक्षी भूमिधारी को किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर त्रुटि इन्द्राज सुधारने को कहा। रिकॉर्ड में उक्त इन्द्राज गलत दर्ज करने रखे

रहने पर प्रार्थी गण को काफी कठिनाई है एवं वह कई प्रकार से हक अधिकार व सुविधाओं से वंचित रहते हैं। व उन्हें भारी नुकसान होगा। इन्द्राज सही संधारण नहीं करने की त्रुटि भू प्रबंध के दौरान की गई। प्रार्थी गण को सुना भी नहीं गया। न ही पर्चा सेटेलमेंट प्रार्थी गण को प्रदान किया गया जबकि नामांतरण व अभिलेख आदि रिकॉर्ड भू प्रबंध विभाग को देने की जवाबदारी व जिम्मेदारी भूमिधारी की थी। उनक ऐसा नहीं करने से उक्त त्रुटि हुई है। भू प्रबंध वालों ने पुराना रिकॉर्ड का समस्त अभिलेख का अवलोकन किए बिना ही उक्त आबादी भूमि को कृषि के रूप में वर्तमान सेटेलमेंट सर्वे नंबर 343 व 344 के रूप में गलत अंकित कर दिया है, जो कि सही तौर पर इंद्राज प्रार्थी गण के नाम पर आबादी में दर्ज होना चाहिए था।

आदि पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जवाब अप्रार्थी, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं रिकॉर्ड रिपोर्ट जमाबंदी संवत 2058 से 2061, सेटेलमेंट जमाबंदी संवत 2064, जमाबंदी संवत 2070 से 73, आबादी आदेश दिनांक 17.12.2003, विक्रय विलेख 09.01.2004 एवं 24.12.2004 नामंत्रणकरण संख्या 1030 दिनांक 26.07.2006, रिपोर्ट पटवारी एवं मौका पर्चा तथा भूमि अवाप्ति आदेश साक्षी के रूप में शामिल पत्रावली हैं। उक्त साक्ष्यों के अवलोकन, अप्रार्थी के जवाब के अध्ययन और प्रार्थी की लिखित बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी के हक में प्रार्थना पत्र का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है– ग्राम टांडा मंगला के आराजी नंबर 134,133 जो जमाबंदी 2058 से 61 में वाला दलिया तीजू पिता चोखा भील निवासी भीलकुआं के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज था। उक्त आराजी नंबर 134 रकबा 4.01 बीघा एवं आराजी नंबर 135 रकबा 1.05 बीघा में से क्रमशः 0.10 बीघा व 0.10 बिगा कुल रकबा 1.00 बीघा अर्थात 1618 वर्ग मीटर भूमि कार्यालय उपखंड अधिकारी महोदय कुशलगढ़ के आदेश क्रमांक 1620–25 दिनांक 27.12.2003 से संपरिवर्तन दर्ज हुई। जिसका नामअंतरणकरण संख्या 1030 दिनांक 26.07.2006 के जरिए जमाबंदी में अमल दरामद भी हो चुका था । जिसका नया आराजी नंबर संख्या 134/1 व 135/1 दर्ज हुआ था।

उक्त संपरिवर्तन भूमि एक बीघा में से प्रार्थी श्री जगन प्रसाद पिता बाबूलाल ओझा निवासी डूंगरा बड़ा द्वारा 42 गुणा 60 बराबर 2520 वर्ग फिट भूमि दिनांक 24.12.2005 को श्री गेबीलाल पिता गौतम निवासी सज्जनगढ़ से कीमतन क्रय की गई थी। श्री जगन प्रसाद, श्यामसुंदर पिता बाबूलाल ओझा निवासी डूंगरा बड़ा द्वारा 5 गुणा 100 बराबर 500 वर्ग फीट भूमि दिनांक 16.10.2007 को श्री वाला दलिया तीजु पिता चोखा भील निवासी भीलकुआं कीमतन क्रय की गई। उक्त आबादी भूमि में से प्रार्थी द्वारा दो प्लॉट क्रय किए गए, जो वक्त सेटेलमेंट पैमाइश में अमीन द्वारा

मूल खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी । वक्त सेटेलमेंट बाद मौका अनुसार आराजी नंबर 343 व 344 होकर कमशः रकबा 0.05 है. व 0.10 है मूल खातेदार श्री वाला दलिया तीजु पिता चोखा भील के नाम कृषि भूमि रिकॉर्ड है। उक्त आराजी न. 343 में से 0.01 है. भूमि एनएच 113 में अवाप्ताधीन है जिसका मुआवजा भी मूल खातेदारी वाला दलिया तीजु पिता चोखा भील के नाम से पारित हुआ है। उक्त भूमि मौका अनुसार आबादी संपरिवर्तन होकर मूल खातेदार श्री वाला दलिया तीजु पिता चोखा भील द्वारा विक्रय कर दी गई है । उक्त भूमि के आराजी नंबर 134 व 135 मौका अनुसार आराजी नंबर 343 व 344 होकर राजस्व रिकॉर्ड में मूल खातेदारी वाला दलिया तीजु पिता चोखा भील के नाम कृषि भूमि रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त भूमि में से कय की गई भूमि 42 गुणा 60 बराबर 2520 वर्ग फिट व 5 गुणा 100 बराबर 500 कुल रकबा 3020 वर्ग **फिट** पर प्रार्थी का पूर्ण कब्जा है।

प्रत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्यो के परीक्षण से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यो की सही पुष्टि होती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम टाण्डामंगला के खसरा न. 135/1 व 134/1 की प्रार्थीगण द्वारा क्रय शुदा आबादी भूमि जिनके नये नम्बर हाल सेटलमेंट में कृषि भूमि के रुप में वाला दलिया व तिजू पिता चोखा के नाम दर्ज कर दी गई है जिसको सही सर्वे न. 343,344 आबादी श्री सरकार (आवासीय) के रुप शुद्धि करण का आदेश जारी किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार एवं सहायक भू.अ. अधिकारी सज्जनगढ को दिये जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांकः–19/02/2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
सज्जनगढ,जिला–बांसवाडा(राज.)